प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 16.11.2024

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत कानपुर देहात पुलिस को मिली सफलता।**
- **थाना रूरा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01.11.2024 को शराब की दुकान पर हुई लूट की घटना का किया गया सफल अनावरण।**
- **थाना रूरा पुलिस की कार्यवाही से लूट की घटना में शामिल 01 नफर शातिर लुटेरा को 42800/- रुपये व 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त पर जनपद के विभिन्न थानों पर 01 दर्जन से अधिक अभियोग हैं पंजीकृत।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 02.11.2024 को वादी श्री अविनाश पुत्र स्व0 श्यामसुन्दर निवासी मुरलीपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 01.11.2024 उनकी शराब की दुकान पर लूट हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 371/2024 धारा 309(6) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त सूरज पुत्र सन्नू कंजड उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम पिलखनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को मुखबिर की सूचना पर थाना रूरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 15.11.2024 को नदी पुल के पास बृहद ग्राम हारामऊ से समय रात्रि 10.08 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 371/2024 धारा 309(6) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित लूट के 42800/- रूपये व 01अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रूरा पर मु0अ0सं0 389/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा लूट के अभियोग में 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. सूरज पुत्र सन्नू कंजड उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम पिलखनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त सूरज उपरोक्त ने पूछताछ में बताया में कि साहब मैं दिनांक 01.11.2024 शाम करीब 08.00 बजे मेरे ही गाँव का ललिया पुत्र राजकुमार जो मेरा साथी है तथा अन्य साथी दिलवर पुत्र पप्पू व छोटे पुत्र संतोष निवासी गण रनियां डेरा (हारामऊ) थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ने थाना रूरा क्षेत्र के एक शराब के ठेके से लूट की थी जिसमें हम लोगों को लगभग 70,000 रुपये प्राप्त हुए थे। लूट के रुपयों में से हम लोगों ने कुछ खर्च कर लिये थे तथा शेष

रुपये मेरे पास थे। लूट में हम लोगों को एक मोबाइल भी मिला था जिसे स्विच ऑफ करके ललिया ने अपने पास रख लिया था। लूट की घटना के बाद मैं तथा ललिया एक मोटरसाइकिल पर थे तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर छोटू व दिलवर थे। दिलवर व छोटू ने रास्ते में गुल्लक से पैसे निकालकर गुल्लक को कहीं फेंक दिया था। जिसकी जानकारी दिलवर व छोटू दे सकते हैं। मैं और ललिया दोनों लोग मोबाइल नहीं रखते हैं। हम लोग पहले भी कई मुकदमों में एक साथ जेल जा चुके हैं। घटना कारित करने के बाद हम लोग ऐसे रास्ते से आते-जाते हैं जिस रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे न हों।

घटना में शामिल शेष लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है शीघ्र ही शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

अभियुक्त सूरज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 457/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 485/17 धारा 110जी सीआरपीसी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 649/17 धारा 138बी विद्युत अधिनियम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 730/19 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 798/19 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 744/19 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
7. मु0अ0सं0 745/19 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
8. मु0अ0सं0 896/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
9. मु0अ0सं0 757/19 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
10. मु0अ0सं0 449/19 धारा 392 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
11. मु0अ0सं0 62/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
12. मु0अ0सं0 189/2023 धारा 110जी सीआरपीसी जनपद कानपुर देहात।
13. मु0अ0सं0 371/2024 धारा 309(6)/317(2) बी0एन0एस0 थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।
14. मु0अ0सं0 389/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी –

1. लूट के 42800/- रूपये
2. अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना

गिरफ्तार करने वाली थाना रूरा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश शर्मा
2. व0उ0नि0 श्री लक्ष्मण सिंह
3. उ0नि0 श्री अतेन्द्र कुमार
4. का0 932 यतेन्द्र सिंह
5. का0 71 जितेन्द्र सिंह
6. का0 336 रवीशंकर
7. का0 231 सुबेदार